किशोरावस्था शिक्षा में कौशल विकास
(Skill Development in Adolescent Education)

कौशल विकास जीवनपर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया व्यक्ति की प्रौढ़ होने में सहायता करती है। इस प्रकार वह अपनी आंतरिक और बाह्य शक्तियों को पहचान कर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ अपने निर्णय ले सकता है। शिक्षा में कौशल विकास से अभिप्राय उन गुणों के विकास से है जिससे शिक्षार्थी केवल सह-अस्तित्व की भावना से लोगों के साथ स्वस्थ संबंध स्थापित करने की ओर अग्रसर होता है। सामान्यतः लोगों के साथ रहने और उनके साथ कार्य करने के लिए वांछित शिष्ट-आचरण और निपुणता को ही कौशल कहते हैं। कुछ एक कौशल प्राकृतिक रूप में स्वतः विकसित होते हैं और कुछ का विकास वातावरण में होता है। इसके अतिरिक्त कुछ दक्षताएं अभ्यास व अधिगम द्वारा विकसित की जा सकती हैं। शिक्षा, विशेषतः पाठशाला-शिक्षा, विद्यार्थियों के मध्य जीवन कौशल निर्माण में एक सशक्त भूमिका निभाती है। प्रारम्भिक वर्षों के विभिन्न अनुभव ही भविष्य में उन्हें अधिगम व अभ्यास के विविध अवसर प्रदान करते हैं।

कौशल : अर्थ

कौशल या दक्षता को कई रूपों में परिभाषित किया गया है। सामान्यतः यान्त्रिक कौशल, तकनीकी दक्षता अथवा किसी कार्य को निष्पादित करने के ढंग या तरीके को कौशल कहा जाता है। यथा-साईकिल या मोटरसाईकिल की मुरम्मत करना, लकड़ी से फर्नीचर बनाना। किन्तु शिक्षा क्षेत्र में कौशल या दक्षता का अर्थ व्यापक है और इसका प्रयोग एक लम्बी अवधि से किया जा रहा है। यह अपेक्षा की जाती है कि पाठ्यचर्याओं के निर्माण के समय ज्ञानात्मक, बोधपरक और मनोवृत्ति से संबद्ध उद्देशयों के साथ कौशल संबंधी उद्देश्यों का भी ध्यान रखा जाए।

वस्तुतः शिक्षा-जगत में कौशल शब्द का प्रयोग बार-बार होता है। इस शब्द का प्रयोग यंन्त्र-कौशल, बौद्धिक-कौशल, भावनात्मक-कौशल, निरंतरता-कौशल, सृजनात्मक-कौशल, भाषिक-कौशल, वैज्ञानिक-कौशल, गणितीय-कौशल, प्रायोगिक-कौशल, जीवन-कौशल, वैयक्तिक-कौशल आदि विविध संदर्भों में होता है।

कौशल शब्द की अर्थपरक जटिलताओं में न जा कर सामान्यतः कौशल से अभिप्राय उस व्यक्तिगत निपुणता से है जिसे वह दैनिक-जीवन यापन के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करता है। कलम पकड़ना एक साधारण सा कौशल है, जबकि किक्रेट खेलना एक जटिल दक्षता है। चलने का कौशल स्वयंमेव आता है जबकि बोलने के कौशल में वातावरण एक प्रभावशाली भूमिका निभाता है। फुटबॉल खिलाड़ी का गेंद लुढ़काना, बस चलाना आदि कार्यों में अभ्यास द्वारा दक्षता का विकास होता है जबकि अन्य कौशल यथा तर्कपूर्ण चिन्तन तथा सृजनात्मक अभिव्यक्ति आदि बोध और चिंतन से विकसित होते हैं।

जीवन कौशल

हाल के वर्षों में स्वास्थ्य और प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में जीवन कौशल की संकल्पना का विविध प्रयोग हो रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जब से जीवन कौशल की संकल्पना को अपनाया है तब से जीवन कौशल को मनोवैज्ञानिक दक्षता के रूप में पहचान मिली है। यह दक्षता व्यक्तिगत योग्यता से सम्बन्धित है जिसके माध्यम से व्यक्ति स्थिर मनःस्थिति बनाता है, दूसरों के साथ सम्पर्क में आने पर सकारात्मक व्यवहार करता है और अपनी संस्कृति तथा वातावरण के साथ अनुकूलता पैदा करता है।[1] जीवन कौशल की संकल्पना जीवन की उस विधि से संबंधित है जो शिक्षा में ज्ञान, मनोवृत्ति और अंतर्वैयक्तिक कौशल हेतु परस्पर आदान-प्रदान पर बल देती है। शिक्षार्थियों में विविध कौशलों का विकास कर उन्हें जीवन की चुनौतियों का दृढ़ता से सामना करने के लिए तैयार करना ही इसका उद्देश्य है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जीवन कौशल की परिभाषा इस प्रकार की गई है : ''दिन-प्रतिदिन के जीवन में व्यक्ति का सकारात्मक व्यवहार तथा अनुकूलन की प्रवृति ही जीवन कौशल है। जिससे वह जीवन की आवश्यक्ताओं और चुनौतियों का प्रभावशाली ढंग से सामना करता है। जीवन कौशल जीवन के विविध तनावों और दबावों से लड़ने में व्यक्ति की सहायता करता है। इस प्रकार न केवल व्यक्ति की व्यक्तिगत और सामाजिक दक्षता की संवृद्धि होती है बल्कि व्यक्तिगत समस्या समाधान की क्षमता में भी वृद्धि होती है। मनोवैज्ञानिक स्थिति के कारण जीवन कौशल अन्य उल्लेखनीय कौशलों यथा - साक्षरता, गणना, तकनीकी व प्रायोगिक तथा जीवनयापन कौशलों से भिन्न है।''

---

1 Division of Mental Health and Preventaion of Substance Abuse, Life Skills Education in Schools, 1997, Geneva, WHO, PP.1.49

किशोरावस्था प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य कौशल (ARSH)

जीवन कौशल रीति मानव जीवन के प्रत्येक पहलू से संबंधित है। किन्तु किशोरावस्था शिक्षा में कौशल विकास को केवल किशोर प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से ही जोड़ा जाता है। अतः इस संदर्भ में इसे किशोर प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य कौशल **(ARSH Skill)** के नाम से जाना जाता है जिसे इस प्रकार परिभाषित किया गया है – ''किशोर प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य कौशलों से अभिप्राय उन प्रवीणताओं और दक्षताओं से है जिसके विकास से किशोरों और युवाओं में प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य के संदर्भ में उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण में सहायता मिलती है। इस प्रकार उचित कौशल विकास से वे जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में अपनी रक्षा कर सकते हैं तथा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर सामाजिक दृष्टि से स्वस्थ संबंध स्थापित कर सकते हैं।''

कौशल विकास

कौशल विकास सामाजीकरण की प्रक्रिया, जिसमें स्कूली शिक्षा भी शामिल है, का ही एक अभिन्न अंग है। अतः यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि एक विशेष समय पर विशेष शैक्षिक हस्तक्षेप से सभी प्रकार के कौशलों का विकास हो जाता है। यद्यपि कुछ-एक कौशलों यथा – यांत्रिक कौशलों के संदर्भ में यह सत्य हो सकता है किन्तु चिंतन कौशल या संप्रेषण कौशल जैसे कौशलों के विकास का श्रेय किसी विशेष शैक्षिक-हस्तक्षेप को नहीं दिया जा सकता। यही कारण है कि कौशल विकास सदैव ही नये सिरे से कौशल विकास की प्रक्रिया नहीं हो सकती। अर्थात् एक व्यक्ति में कोई कौशल विकास पहले से विद्यमान हो सकता है और उसके पास किसी विशेष परिस्थिति में इसके प्रयोग की योग्यता भी हो सकती है किन्तु किसी दूसरी परिस्थिति में उसी कौशल के प्रयोग में वह विफल भी हो सकता है। उदाहरणार्थ एक किशोर विद्यार्थी अपने अध्यापक से वैश्वीकरण या पर्यावरण-प्रदूषण पर चर्चा या विचार-विमर्श करते हुए चिंतन कौशल या संप्रेषण कौशल का समुचित प्रयोग कर रहा है किन्तु सामाजिक विकास से जुड़े किसी विषय पर वह इन कौशलों के उपयोग में असमर्थ रह सकता है। अतः यह स्पष्ट है कि किसी विशेष संदर्भ में संबंधित कौशल के उपयोग करने की दक्षता अर्जित करने की प्रक्रिया को ही सच्चे अर्थों में कौशल विकास कहा जा सकता है। किशोरों की प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रबंधन अथवा निवारण के लिए विद्यार्थियों में वांछित चिंतन, संप्रेषण अथवा विनिमय कौशलों का विकास भी समुचित शैक्षिक हस्तक्षेप से ही हो सकता है।

किशोरावस्था प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य कौशल की शिक्षा क्यों ?

स्कूली शिक्षा के सभी शैक्षिक प्रयास सामान्यतः विभिन्न प्रकार के कौशल विकास पर केन्द्रित होते हैं। यद्यपि स्कूली पाठ्यचर्या में निर्धारित विषयों और विविध प्रक्रियाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सभी विषय क्षेत्रों के संबंध में समुचित कौशल निर्माण करे तथापि यह महसूस किया गया है कि शैक्षिक आदान-प्रदान की परंमपरागत पद्धति में कौशल-निर्माण पर वांछित बल नहीं दिया जाता। शिक्षण-अधिगम की प्रचलित पद्धति मुख्यतः जानकारी और ज्ञान प्रदान करने पर ही केंद्रित रही है। हाल के वर्षों में शिक्षा को गतिविधि केंद्रित और आनन्दमय बनाने के लिए शिक्षण के ढंग में परिवर्तन के थोड़े-बहुत प्रयास अवश्य हुए हैं किन्तु विशेष शिक्षाशास्त्रीय प्रयासों द्वारा कौशल निर्माण अभी भी बौद्धिक परिचर्चा का ही विषय है और शिक्षण-अधिगम में उसे उचित स्थान मिलना अभी शेष है। यह अत्यंत आवश्यक है कि स्कूली शिक्षा में विशेषतः किशोर प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य **(ARSH)** जैसे विषयों के संबंध में विद्यार्थियों में समुचित कौशल विकास पर अधिक बल दिया जाए। इस विचार को पूरा करने के लिए निम्नलिखित चिन्तन बिन्दु प्रस्तुत किए गए हैं। इस आवश्यकता के निम्नलिखित कारण हैं -

1. शिक्षा द्वारा उचित कौशल-विकास से लोगों के मानसिक स्वास्थ्य के विकास और दैनिक जीवन में व्यवहार-कुशलता के लिए एक आधारभूमि का निर्माण होता है। इस प्रकार व्यक्ति अर्जित ज्ञान, मनोवृत्ति और मूल्यों को व्यावहारिक योग्यताओं में बदल सकता है। अर्थात् वह यह जान लेता है कि मुझे क्या करना है? और कैसे करना है?

2. कौशल विकास से व्यक्ति की अपने और दूसरों को समझने की सोच प्रभावित होती है बल्कि व्यक्ति यह भी जान सकता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। इस प्रकार व्यक्ति न केवल अपनी क्षमताओं को पहचान सकता है अपितु उसके अंदर आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावनाएं भी विकसित होती हैं।

3. शिक्षा व कौशल विकास के संदर्भ में एक अस्पष्टता दृष्टिगोचर होती है। प्रायः यह माना जाता है कि जो शिक्षित है वह आवश्यक कौशल सम्पन्न भी है। किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। यदि हम निश्चित कर लें कि हमें क्या करना है तो हम वह कार्य सम्पन्न भी कर सकते हैं

किन्तु यदि हम जान भी लें कि क्या परिवर्तन अपेक्षित हैं तो भी यह आवश्यक नहीं है हम वांछित परिवर्तन कर ही पाएं। अतः उचित कौशल विकास से हम वांछित परिवर्तनों को कार्यरूप दे सकते हैं।

4. यही कारण है कि एक व्यक्ति शिक्षित होते हुए भी कुछ-एक कौशलों को कुछ विशेष परिस्थितियों में कार्यान्वित कर सकता है किंतु विविध परिस्थितियों में विविध समस्याओं से प्रभावपूर्ण ढंग से निपटने के लिए वही कौशल काफी नहीं होते। किशोर प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य (**ARSH**) के संदर्भ में भी यही सत्य है। अतः किशोरों में ऐसे कौशलों के विकास की अत्यंत आवश्यकता है, जिससे वे ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक संसाधन जुटा सकें और व्यक्तिगत तथा सामाजिक स्तर पर समुचित क्षमताओं का विकास कर सकें।

5. अतः यह स्पष्ट है कि स्वास्थ्य और प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं और उनके कारण बढ़ रहे मानसिक दबावों से निपटने के लिए युवाओं के पास समुचित कौशल उपलब्ध नहीं हैं। अतः यह आवश्यक है कि वे अपने जीवन के संदर्भ में सही विकल्प चुनने, नकारात्मक दबावों के प्रति प्रतिरोधात्मक रुख अपनाने और खतरनाक व्यवहार से बचने के लिए अपने अंदर समुचित योग्यताओं का विकास करें।

6. जीवन-शैली और संस्कृति में परिवर्तन के कारण वर्तमान में हमारी परिवार की अवधारणा में भी आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। परंपरागत व्यवस्था में एक व्यक्ति को विविध चुनौतियों से जूझने के लिए परिवार और समाज की ओर से पर्याप्त सहायता मिलती थी। किंतु युवाओं पर बढ़ रहे विशिष्ट दबावों के दृष्टिगत वर्तमान की बदली परिस्थितियों में उन्हें पर्याप्त सहायता नहीं मिलती।

7. आधुनिकीकरण, शहरीकरण, वैश्वीकरण और प्रसार माध्यमों की विशिष्ट भूमिका के परिणामस्वरूप तीव्र सामाजिक परिवर्तन हुए हैं जिससे युवाओं के जीवन, उनकी आकांक्षाओं, मूल्यों और दृष्टिकोण में भी परिवर्तन हुआ है। किशोर प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य की समस्या अधिक जटिल हुई है, एड्स का खतरा बढ़ा है तथा किशोरों में मादक पदार्थों

के सेवन ने भी समस्या का रूप ले लिया है। अतः युवाओं की इन समस्याओं के समाधान के लिए समुचित कौशल विकास की अत्यंत आवश्यकता है।

''किप्रयौस्वा'' (ARSH) के प्रकार -

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुछ ऐसे कौशलों को चिह्नित किया है जिन्हें प्रजातीय जीवन कौशल कहा गया है और जो व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक क्षमताओं का अभिवर्द्धन करते हैं। ये विशिष्ट कौशल जीवन के विविध संदर्भों में विशेषतया संकटपूर्ण स्थितियों में लागू किए जा सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की जीवन-कौशल संबंधी परिभाषा के अनुरूप पांच विविष्ट कौशल जिन्हें पांच आधारभूत जीवन कौशलों का नाम दिया गया है - चिह्नित किए गए हैं। ये हैं -

1. निर्णय क्षमता (**Decision Making**) - समस्या के समाधान के लिए **(Problem Solving)**
2. सृजनात्मक चिन्तन (**Creative Thinking**) - समालोचनात्मक सोच **(Critical Thinking)**
3. सम्प्रेषण (**Communication**)- अन्तर्वैयक्तिक कौशल **(Inter Personal Skills)**
4. स्व जागरूकता (**Self Awareness**) -तदनूभूति **(Empathy)**
5. भावनात्मक सन्तुलन (**Coping with Emotions**) -तनाव सहन करने की क्षमता **(Coping with Stress)**

;|पि किशोरावस्था प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य के सन्दर्भ में उपर्युक्त कौशलों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। स्कूली शिक्षा की व्यवस्था में किशोर विद्यार्थियों में कौशल निर्माण के लिए किए जाने वाले शैक्षिक प्रयास द्विविध होते हैं। अर्थात् ऐसे शैक्षिक प्रयासों से शिक्षकों और विद्यार्थियों, दोनों लक्ष्य समूहों के लिए समुचित कौशलों की पहचान और उनका कार्यान्वयन किया जाता है।

क्योंकि शिक्षा की परंपरागत विधियों से अध्यापक विद्यार्थियों में इन कौशलों का विकास नहीं कर सकता अतः नई चुनौतियों से निपटने के लिए पहले उसे अपने अंदर विशिष्ट कौशलों को विकसित करना होगा। दूसरी ओर किशोर विद्यार्थियों को भी अपनी प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों और समस्याओं के प्रबंधन के लिए तथा अपने

शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण के लिए आवश्यक कौशलों का विकास करना पड़ेगा।

अध्यापकों के लिए कौशल

विद्यार्थियों में कौशल विकास चिरकाल से स्कूली पाठ्यचर्या का महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है लेकिन अभी भी इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुत कम प्रयास हुए हैं। विद्यार्थियों में कौशल निर्माण के उद्देश्य की पूर्ति के लिए अध्यापकों में भी उचित कौशल विकास होना चाहिए। 'क्रिप्रयौस्वा' (**ARSH**) जैसे अति-संवेदनशील विषयों के प्रबंधन के लिए समुचित कौशलों के विकास की ओर अभी दृष्टि ही नहीं गई है। अतः 'क्रिप्रयौस्वा' (**ARSH**) जैसे विषयों पर निर्मित पाठ्यचर्या को विद्यार्थियों तक पहुंचाने तथा उनके अंदर आवश्यक कौशलों के विकास के लिए अध्यापक को स्वयं निम्नलिखित मूल-कौशलों से संपन्न होना चाहिए। ये हैं -

1. सम्प्रेषण कौशल **(Communication Skills)**
2. गैर- निर्णयात्मक कौशल **(Non-Judgmental Skills)**
3. परानूभूति कौशल **(Empathic Skills)**

1. सम्प्रेषण कौशल (Communication Skills)

सूचना और शिक्षा के आदान-प्रदान के लिए, किसी को समझाने-मनवाने, प्रेरित करने, सहायता करने, पुनर्बलन अथवा वकालत आदि के लिए संप्रेषण का उपयोग किया जाता है। सम्प्रेषण वस्तुतः मौखिक और अमौखिक रूप से सूचनाओं, विचारों तथा अनुभवों को व्यक्त करने की योग्यता और प्रक्रिया का नाम है। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए संम्प्रेषण की कई विधियां हैं और प्रत्येक विधि द्वारा प्रभावकारी संम्प्रेषण के लिए एक निश्चित प्रकार का कौशल चाहिए। विद्यार्थियों में ''किप्रयौस्वा'' के संबंध में आवश्यक कौशल उत्पन्न करने के लिए अध्यापकों में अंतरवैयक्तिक सम्प्रेषण कौशल का होना आवश्यक है। अन्तरवैयक्तिक सम्प्रेषण ''दो या दो से अधिक लोगों में अथार्त् व्यक्ति से व्यक्ति तक दो तरफा मौखिक या गैर मौखिक संचार होता है।'' अतः यह दो व्यक्त्यिों के बीच परस्पर या समूह संम्प्रेषण भी हो सकता है। संप्रेषण तकनीकी या गैर तकनीकी सूचना संचार में भी उतना ही प्रभावकारी हो सकता है जितना कि भावात्मक या प्रशासकीय संदर्भों में। अध्यापकों के लिए ''किप्रयौस्वा'' से सम्बन्धित कौशलों में कई अन्य उप-कौशल भी आते हैं जैसे-

सौहार्द-निर्माण, सुनना, ध्यान देना, बोलना, प्रश्न करना इत्यादि। इन सब कौशलों का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति करता है, किंतु इनके प्रभावपूर्ण ढंग से उपयोग के लिए विशेष प्रयासों अर्थात् प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उदाहरणतया- सब लोग हर समय सुन सकते हैं, लेकिन वे हमेशा ऐसा नहीं कर रहे होते हैं। जब कोई व्यक्ति बोल रहा होता है, तो उनके कान खुले होते हैं, परन्तु वे यह सोच रहे होते हैं कि जब बोलने की उनकी बारी आएगी तो वे क्या बोलेंगे; या वे उन ख्यालों में खोए हो सकते हैं कि जब सत्र पूरा होगा तो उन्हे क्या करना है; या फिर उनका ध्यान उधर नहीं होता। अर्थात् वे सुन तो रहे होते हैं पर उनका ध्यान कहीं और होता है। जब कभी ''किप्रयौस्वा'' जैसे विषय पर अध्यापक किशोरों से बात करें तो निम्न उप-कौशलों का ध्यान रखना होगा ताकि संम्प्रेषण प्रभावकारी हो सके। ये हैं -

क) सौहार्द-निर्माण **(Rapport Building)**

अध्यापकों से यह उम्मीद की जाती है कि वे आपस में और विद्यार्थियों के साथ सौहार्दपूर्ण और पारस्परिक विश्वास पर आधारित सहज सम्बन्ध स्थापित करने का कौशल विकसित करेंगे। यह कौशल किसी भी प्रकार के संशय या हिचकिचाहट रहित अनुकूल वातावरण निर्माण में सहायक होते हैं।

ख) सक्रिय श्रवण **(Active Listening)**

अध्यापक को सचेत हो कर श्रवण कौशल विकसित करना होगा। सक्रिय श्रवण के लिए यह जरूरी है कि वक्ताओं की बातें ध्यानपूर्वक सुनी जाएं कि वह क्या कह रहा/रही है। वक्ता को रोक या टोक कर अध्यापक को अपने अनुभव नहीं सुनाने चाहिएं। अध्यापक को ध्यान रखना होगा कि कोई ध्यान हटाने वाली गतिविधि न करे और बाहरी शोर-गुल की ओर विद्यार्थियों का ध्यान न जाए।

ग) ध्यान देना **(Attending)**

अध्यापक के साथ बातचीत करते समय विद्यार्थियों को अपना ध्यान केन्द्रित रखना पड़ता है। यह उम्मीद की जाती है कि अध्यापक विद्यार्थियों को सहज रखें और उनके प्रश्नों का उत्तर सुरुचिपूर्वक दें। उसे ध्यानपूर्वक सुनकर विद्यार्थियों का

विश्वास जीतना है। विद्यार्थियों की आलोचना करना या धमकाना ठीक नहीं। अध्यापक को चाहिए कि विद्यार्थियों को कुछ बोलने के लिए प्रोत्साहित करे।

घ) बोलना

बोलते समय अध्यापक को अपनी आवाज उचित स्वरमान पर रखनी चाहिए जो कि न बहुत ऊँची हो न ही धीमी। उसे कभी भी किसी वार्तालाप में हावी होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और वह बात अभिव्यक्त करनी चाहिए जो वह महसूस करता है, न कि जो वह सोचता है।

ङ) प्रश्न पूछना

जब विद्यार्थी कुछ बोल रहे हों तो अध्यापक को प्रश्न पूछने होते हैं। किन्तु प्रश्न ऐसे होने चाहिएं जिनसे बोलने वाले विद्यार्थी के प्रति उसकी रुचि प्रकट हो और जो वक्ता में दोष निकालने या उसे परेशान करने की बजाए उसे प्रोत्साहित करें।

2. गैर-निर्णयात्मक कौशल (Non-Judgemental Skills)

किसी भी मूल्यपरक विषय को पढ़ाते समय अध्यापक को गैर-निर्णयात्मक दृष्टिकोण ही अपनाना चाहिए। ऐसा न हो कि वह अपने मूल्य या धारणाएं थोपना शुरू कर दे। ऐसा तभी हो सकता है यदि अध्यापक निम्न बातों का ध्यान रखते हुए अपने में वांछित कौशल का विकास कर ले -

करणीय (Do's)

1. सर्वप्रथम अध्यापक को ''क्प्रियौस्वा'' के विषय में कौशल निर्मित करने की आवश्यकता के बारे में पूर्णतया निश्चित होना चाहिए।
2. उसे व्यक्तिगत मूल्यों को सम्प्रेषित करने से बचना चाहिए, विशेषतया मूल्यों सम्बन्धी मामलों पर विचार करते समय।
3. उसे विद्यार्थियों के परिवेश की विविधता, उनके मूल्यों व विश्वासों का आदर करना चाहिए।
4. उसे विद्यार्थियों को यह भी विश्वास दिलाना चाहिए कि कोई भी मत निरर्थक या अकारण नहीं है।

अकरणीय (Don'ts)

1. अध्यापक को आदेशात्मक प्रवृत्ति नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि अनुभव दर्शाता है कि ऐसे उपदेशों का प्रायः उलट प्रभाव ही पड़ता है।
2. उसे मूल्यों के आधार पर विद्यार्थियों या उनके विचारों का निर्णय नहीं करना चाहिए। क्योंकि शिक्षा तभी प्रभावशाली हो सकती है जब विभिन्न विचारों को अभिव्यक्त करके उन पर चर्चा हो।
3. किसी भी स्थिति में विद्यार्थियों को समस्या नहीं समझना चाहिए। उन्हें ऐसे व्यक्ति समझना चाहिए जो करुणा तथा देखभाल के पात्र हैं।
4. उसे ऐसी बातों पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिनको बदला नहीं जा सकता।
5. उसे विद्यार्थियों द्वारा अभिव्यक्त किसी भी दृष्टिकोण को नकारना या उसका उपहास नहीं करना चाहिए, चाहे वह सामाजिक मानदण्डों के विपरीत ही क्यों न हो।

3. परानुभूति कौशल

परानुभूति **(Empathy)** को अपने आप में मात्र कौशल नहीं समझना चाहिए। किन्तु जिस विद्यार्थी विशेष के साथ अध्यापक विचारों का आदान-प्रदान कर रहा हो, उसकी स्थिति को समझने के लिए इस कौशल की जरूरत है। व्यक्ति जिस स्थिति में है, उसे समझने व महसूस करने की योग्यता को परानुभूति कहते हैं, भले ही व्यक्ति उस स्थिति से परिचित न हो। इस प्रकार परानुभूति कौशल से व्यक्ति उस व्यक्ति की भावनाओं व चिन्ताओं को अनुभव करने और स्वीकारने में सक्षम हो जाता है जिसकी परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न हों। यह कौशल व्यक्ति को दूसरों (जो ध्यान व देखभाल के पात्र हों) को समझने में सहायक सिद्ध होता है। किशोरों को उनकी समस्याओं से जूझने के काबिल बनाने के लिए अध्यापकों में यह कौशल चाहिए ताकि वे रूढ़िबद्ध विचारों से ऊपर उठकर यह समझ सकें कि किशोरों की दुनिया कैसे चलती है। अध्यापक के लिए यह समझना जरूरी है कि कौन सा विद्यार्थी किस विशेष स्थिति में क्या अनुभव करता है और उसका दृष्टिकोण क्या है?

विद्यार्थियों के लिए कौशल

कौशल विकास के लिए शैक्षिक हस्तक्षेप का मुख्य लक्ष्य है छात्रों में ऐसा कौशल उत्पन्न करना ताकि वे स्थिति का सामना करने के लिए आवश्यक संसाधनों और

“किप्रयौस्वा” से सम्बद्ध समस्याओं के प्रबंधन के लिए आवश्यक व्यक्तिगत और सामाजिक क्षमताओं का विकास कर सकें। किशोर विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने अन्दर निम्न कौशल विकसित करें -

1. चिन्तन कौशल

सभी मनुष्य सोचते हैं। सोचने अथवा चिन्तन का अभिप्राय जानकारी एकत्र करना, विभिन्न विषयों व समस्याओं की समझ पैदा करना, विकल्पों की जांच, निर्णय क्षमता, समस्या-समाधान करने की योग्यता तथा अन्य दूसरे कई कार्य करने से है। कुछ निश्चित कौशल यथा-तर्कशक्ति, सृजनात्मक सोच, स्वजागरूकता, सामाजिक जागरूकता, समस्या-समाधान, निर्णय-क्षमता आदि को उत्पन्न किए बिना कोई भी व्यक्ति जीवन की चुनौतियों का प्रभावपूर्ण तरीके से सामना नहीं कर सकता। ‘किप्रयौस्वा’ **(ARSH)** के सन्दर्भ में किशोरों व युवाओं दोनों में योग्यता विकास हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान देना होगा --

- सूचनाओं को एकत्र करना, उनकी व्याख्या, विश्लेषण और मूल्यांकन तथा उनका प्रभावपूर्ण ढंग से उपयोग करना।
- सूचनाओं की विश्वसनीयता, शुद्धता और मूल्य का पता लगाना तथा स्थिति को उसकी समग्रता में देखना।
- विकल्पों की परख करना, कारणों की खोज तथा प्रमाणों के आधार पर विचारों में आवश्यक परिवर्तन करना।
- अपने निर्णय के औचित्य को भली प्रकार से परखना और किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में न लेना।

2. सम्प्रेषण कौशल

मनुष्य भाषा के माध्यम से अथवा किसी अन्य साधन द्वारा अपने विचारों, अनुभवों, भावनाओं, प्रवृत्तियों व जानकारी को अभिव्यक्ति देता है यही सम्प्रेषण है। सम्प्रेषण की महत्त्पूर्ण विशेषता यह है कि वह व्यक्ति को समूह से और समूह को व्यक्ति से जोड़ता है। सम्प्रेषण मानव सम्बन्धों की धुरी है। किन्तु इसे प्रभावशाली बनाने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर कुछ कौशलों का विकास करना पड़ता है। प्रजनन एवं यौन-स्वास्थ्य शिक्षा के संदर्भ में सम्प्रेषण के कौशल का विशेष महत्व है, क्योंकि इससे

पूर्व सभी सामाजिक व्यवस्थाओं में इस विषय की चर्चा कम ही हुई है। यह बहुत आवश्यक है, विशेषकर किशोरों और युवाओं के लिए, कि वे प्रभावशाली अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के लिए अपने अंदर कौशल का विकास करें। इस प्रकार कौशल विकास कर उन्हें अपनी समस्याओं के प्रबंधन अथवा समाधान के लिए दूसरों के साथ अच्छी तरह आत्मविश्वास के साथ विचार-विनिमय करना चाहिए। ऐसा करते हुए उन्हें अत्यधिक उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से व्यवहार करना चाहिए तथा संकटपूर्ण स्थितियों से यथासंभव बचने का प्रयास करना चाहिए।

अ) अन्तर्वैयक्तिक **(Interpersonal)**

मानवीय संबंधों के लिए अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण की अत्यधिक आवश्यकता है क्योंकि इससे व्यक्तियों के बीच परस्पर संबंध बनाने और प्रोत्साहित करने में सहायता मिलती है। किशोरों को अपनी स्वतंत्रता और संबंध बनाए रखने के लिए अंतर्वैयक्तिक कौशलों की आवश्यकता पड़ती है। वृद्धि की प्रक्रिया के दौरान किशोरवय बालकों के वृद्धि के समय अपने माता-पिता, समवय साथियों तथा विपरीत लिंग के व्यक्ति के साथ व्यवहार में परिवर्तन आता है।

अपने माता-पिता, समवय साथियों अथवा विपरीत लिंगी के साथ बातचीत अथवा विचार-विमर्श करते हुए वे अपनी स्वतन्त्रता और संबंधो की मर्यादाओं के बीच विरोध का अनुभव करते हैं। वे यह निश्चित नहीं कर पाते कि जो उनके माता-पिता, समवय साथी अथवा विपरीत लिंग का व्यक्ति कह रहा है वह उनके लिए सही है या गलत। दुविधा की इस अवस्था में उन्हें लगता है कि संबंधों की खातिर उन्हें अपनी स्वतंत्रता के साथ समझौता करना पड़ रहा है जबकि माता-पिता आदि को लगता है उनके किशोवय बच्चे अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए संबंधों की मर्यादाओं को तिलांजलि दे रहे हैं। किंतु यदि वे दूसरों के विचारों को समझने और स्वीकार करने का प्रयास करें तो उनकी स्वतन्त्रता भी बनी रह सकती है और संबंध भी बने रह सकते हैं। इस प्रकार सकारात्मक संबंध बनाने और उनका लगातार पोषण करने के लिए उन्हें अपने कार्यों के उत्तरदायित्व का वहन करना होगा और विवेकपूर्ण निर्णय लेने होंगे। अंतर्वैयक्त्कि कौशलों का उपयोग करके किशोर अपने 'किप्रयौस्वा' **(ARSH)** संबंधी समस्याओं का कुशलता से प्रबंधन कर सकते हैं और इस प्रकार अपने माता-पिता की अपेक्षाओं पर भी खरे उतर सकते हैं और

किशोरावस्था की विशेष स्थिति में अपने ऊपर आए अतिरिक्त दबाव का भी सामना कर सकते हैं।

ब) विचार-विनिमय (Negotiation)

किशोरों और युवाओं की प्रजनन एवं यौन संबन्धी समस्याओं के प्रबंधन के लिए अपेक्षित कौशल आधारित उपक्रमों में विनिमय कौशल अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यद्यपि हम दिन-प्रतिदिन के जीवन में अपनी समस्याओं और विरोधों के समाधान के लिए विचार-विनिमय करते ही हैं तथापि 'क्रिप्रयौस्वा' **(ARSH)** से संबंधित मुद्दों और समस्याओं के प्रबंधन के लिए अपेक्षित विभिन्न प्रकार के कौशलों में विनिमय कौशल का नाम सर्वोपरि है। दो व्यक्तियों अथवा समूहों के बीच परस्पर आदान-प्रदान द्वारा किसी सहमति पर पहुंचना विनिमय कहलाता है। इस प्रकार दो व्यक्ति या समूह परस्पर सहमति के आधार पर समस्या का समाधान करते हैं। किशोरों को वयस्कों, माता-पिता, समआयु-समूह तथा विपरीत लिंगी के साथ विचार-विमर्श के लिए तथा 'क्रिप्रयौस्वा' **(ARSH)** से सम्बन्धित समस्याओं के प्रबंधन के लिए विनिमय-कौशल की अत्यंत आवश्यकता होती है। ये कौशल किशोरों को स्वस्थ और प्रसन्न जीवन-यापन में तथा समआयु समूह के दबाव को सहन करने में सहायक होते हैं। उन्हें दूसरों के विचारों को समझने के लिए कौशल विकसित करना होगा और अपने मूल्यों एवं विश्वासों पर दृढ़ रहना होगा। ऐसा करते हुए उन्हे दृढ़ता से काम लेना होगा जबकि आक्रामक होने की कोई आवश्यकता नहीं है।

शिक्षकों और छात्रों के लिए 'किप्रयौस्वा' **(ARSH)** विषयक तालिका

कौशल	उप–कौशल
संप्रेषण कौशल **(Communication Skills)**	अध्यापकों के लिए (अ) ध्यानपूर्वक सुनना : ● वक्ता पर दृष्टिबिंदु। ● बीच में मत टोकें। ● बीच में टोककर अपना अनुभव न सुनाएं। ● बाहरी विघ्न की ओर ध्यान न दें। ● शांत रहकर आराम से सुनें।
	(ब) ध्यान देना : ● वक्ता को रुचिपूर्वक उत्तर दें। ● वक्ता को सुखद स्थिति का आभास कराएं। ● आलोचना न करें ● दूसरों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें।
	(स) बोलना : ● संतुलित आवाज में बोलें। (न बहुत ऊँचे न बहुत नीचे) ● वार्तालाप में स्वयं हावी न हों। ● अवसर आने पर अपने अनुभव को व्यक्त करें न कि अपने विचार को।
	(द) प्रश्न पूछना : ● यह दर्शाने के लिए कि छात्र की बातों में आपको रुचि है, छात्र से प्रश्न करें। ● छात्रों से प्रोत्साहनपूर्वक प्रश्न करें।

कौशल	उप-कौशल
गैर-निर्णयात्मक कौशल **(Non-Judgemental skills)**	करणीय **(Do's)** : ● स्वयं आश्वस्त हो जाएं कि किशोरों में कौशल-निर्माण की आवश्यकता है। ● मूल्यगत विषयों पर चर्चा में अपने मूल्य व विश्वासों को थोपने से परहेज करें। ● सीखने वालों के बहुआयामी परिवेश, मूल्यों व विश्वासों का आदर करें।
	अकरणीय **(Don'ts)** ● उपदेशात्मकता छोड़ें क्यों कि उपदेश देना कई बार उल्टा भी पड़ जाता है। ● व्यक्ति के प्रति व्यक्तिगत राय न बनाएं। ● सीखने वालों को समस्या न समझें बल्कि करुणा और देखभाल का पात्र समझें। ● उन बातों पर टिप्पणी न करें जिन्हें बदला नहीं जा सकता है।
तदनुभूति कौशल **(Empathic skill)**	दूसरा व्यक्ति किसी स्थिति विशेष में कैसा अनुभव करता है इसे महसूस करें।
चिन्तन कौशल (**Communication skills**)	छात्रों के लिए कौशल समालोचनात्मक व सृजनात्मक चिन्तन, स्वजागरूकता, सामाजिक जागरूकता, समस्या समाधान की क्षमता, निर्णय-क्षमता
सम्प्रेषण कौशल (**Communication skills**)	अ). अन्तर्वैयक्तिक दूसरों के विचारों की प्रशंसा करना, अपने व दूसरों की भूमिका की समझ, सकारात्मक सम्बन्ध स्थापना, जिम्मेवारी लेना, निर्णय लेने की क्षमता, समस्या समाधान की क्षमता ब). समझौता/विचार विनिमय दूसरों के विचारों को समझना, अपने विश्वासों व मूल्यों पर दृढ़ता, आक्रामक न होते हुए भी दृढ़ होना, अपने प्रति तथा दूसरों के प्रति विनिमयात्मक /रुख अपनाना (**Give and take**) समआयु समूह के दबाव को झेलने की क्षमता, भावनात्मक सन्तुलन बनाना तथा तनाव मुक्त रहना, अवांछित अथवा हानिकारक व्यवहार की स्थितियों में दृढ़ता से ना कहना।

कौशल विकास के लिए शिक्षण-विधियां (Pedagogicals Methods skills Development)

शिक्षण-पद्धति में उचित विधियों का उपयोग कर हम ''किप्रयौस्वा'' **(ARSH-Adolescence Reproductive & Sexual Health)** सम्बन्धी कौशल छात्रों में विकसित कर सकते हैं। यद्यपि यह अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है कि हम कौशल विकास के वास्तविक अर्थ को समझें तथापि इसका अभिप्राय यह नहीं है कि हमें 'किप्रयौस्वा' सम्बन्धी कौशल नए सिरे से उत्पन्न करने हैं या कि ऐसा करने के लिए नए शैक्षिक प्रयास करने हैं। वास्तव में 'सीखने वाले किशोरों' में ये कौशल पहले से हो सकते हैं और यह भी हो सकता है कि वे इन कौशलों का प्रयोग किन्ही भिन्न संदर्भों में पहले से कर भी रहे हों। प्रस्तुत संदर्भ में कौशल विकास के लिए उपयुक्त शिक्षण पद्धति के उपयोग का यही अर्थ है कि हम 'किप्रयौस्वा' के संबंध में उक्त कौशलों के उपयोग के लिए उन्हें तैयार करें। उदाहरणार्थ छात्र में तर्कपूर्ण वैचारिक कौशल या कौशल पहले से मौजूद हो सकते हैं किन्तु अपने समआयु समूह के दबाव और दूसरे नुकसानदायक व्यवहार की स्थिति में संभव है कि वह इन कौशलों का उपयोग करने में अपने को असमर्थ पाए। अतः इस विशेष संदर्भ में वांछित कौशलों के उपयोग के लिए किशोरों को तैयार करने अर्थात् समआयु समूह के दबाव और अप्रत्याशित व्यवहार की स्थिति में दृढ़तापूर्वक 'ना' कहने के लिए किशोरों को तैयार करने हेतु समुचित शैक्षिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

यह महसूस किया गया है कि पारम्परिक शिक्षा पद्धति किशोरों में कौशल विकास के लिए प्रभावपूर्ण साबित नहीं हो सकती। वही पद्धति प्रभावशाली हो सकती है जो अध्यापक व किशोरों के मध्य परस्पर विचार-विमर्श और सहभागिता पर आधारित होगी तथा जो ज्ञान और सकारात्मक प्रवृतियों के विकास पर केन्द्रित होगी। अतः हमें प्रयोगात्मक अधिगम पर विशेष जोर देना होगा। सीखने वालों को गतिशील शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया **(Teaching Learning Process)** से गुजारना होगा ताकि अधिगम द्वारा सक्रिय रूप में अनुभवों का अधिग्रहण और निर्माण हो सके। निश्चेष्ट अधिगम में केवल अध्यापक द्वारा जानकारी प्रदान की जाती है। जो केवल उपदेशात्मक बन जाती है, किंतु कौशल विकास हेतु इसे हमें सक्रिय व प्रयोगात्मक बनाना होगा। परिचर्चा, सामूहिक कार्य, कहानी सुनाना, वाद-विवाद आदि शिक्षण विधियां काफी

प्रभावपूर्ण साबित हो सकती हैं। इन गतिविधियों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है -

क. पाठ्य-सहभागी गतिविधियां

ख. अध्यापक परामर्श तथा समवय शिक्षा

(क) पाठ्य सहभागी गतिविधियां (**Co-Curriculer Activities**)

छात्रों का बहुमुखी विकास स्कूली शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। शिक्षा के द्वारा छात्र न केवल ज्ञानार्जन करते हैं, अपितु वे अपने बौद्धिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विकास के अनुरूप अपनी संकल्पनाओं, मनोवृत्तियों, मूल्यों और कौशलों को विकसित करने में भी सक्षम होते हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति इस बात पर निर्भर करती है कि पाठ्यचर्या को व्यावहारिक रूप में किस प्रकार छात्रों को पढ़ाया जाता है। यही कारण है कि स्कूली पाठ्यचर्या में छात्रों को विस्तृत ज्ञानात्मक अनुभव प्रदान करने के लिए किन शैक्षिक उपागमों **(instructional approaches)** का ग्रहण किया जाए, यह सबसे महत्त्वपूर्ण है। पाठ्यचर्या शिक्षण के प्रायः दो उपागम प्रचलित हैं- 1. सामान्य पाठ्य उपागम, 2. पाठ्य सहभागी उपागम। सामान्य पाठ्य उपागम का प्रयोग प्रायः प्रत्येक शिक्षक द्वारा किया जाता है। यह संज्ञानात्मक उपागम है जो छात्रों की ज्ञानार्जन में सहायता करता है तथा इसके द्वारा वे अधिगम **(Learning)** की अपनी विधियां विकसित कर सकते हैं। किंतु बौद्धिक विकास से परे शिक्षा के असंज्ञानात्मक अथवा व्यावहारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अथवा अधिगम के वास्तविक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह विधि अधिक उपयोगी और प्रभावपूर्ण नहीं है।

अतः शिक्षा व अधिगम के वास्तविक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसी शैक्षिक विधियों की आवश्यकता है जिसमें सीखने वाले को निष्क्रिय व उदासीन श्रोता की अपेक्षा सोचने, तर्क-विर्तक करने, अनुभव करने और स्वयं करके देखने के अवसर प्राप्त हों। वास्तव में स्वयं करके देखने और खोज की प्रवृत्ति ने ही मानव-जाति को इस योग्य बनाया है कि आज उसके पास विस्तृत ज्ञानकोश है, वह प्रकृत्ति के विभिन्न रहस्यों को जानता है तथा तथ्यों और घटनाओं को स्वयं नियंत्रित भी करता है। अध्यापन-अधिगम **(Teaching-learning)** के लिए इसी प्रक्रिया का उपयोग कर हम अधिगम को निश्चय ही रुचिकर और सार्थक बना सकेंगे तथा इसे स्थायित्व भी प्रदान कर सकेंगे।

पाठ्य सहभागी गतिविधियों में छात्रों को यह अवसर प्रदान करने की प्रचुर संभावना तथा सामर्थ्य है। इन गतिविधियों में स्कूल द्वारा प्रायोजित अथवा सूचीबद्ध वे सभी गतिविधियां शामिल होती हैं जो नियमित पाठ्यचर्या का अंग नहीं होतीं किंतु जो पाठ्यचर्या को समृद्ध और व्यापक बनाने के लिए नियोजित और आयोजित की जाती है। किशोरावस्था शिक्षा जैसे नवीन क्षेत्र में पाठ्य-सहभागी उपागम **(approach)** अत्यधिक प्रभावपूर्ण साबित हो सकती है। क्योंकि किशोरावस्था शिक्षा एक नया शैक्षिक क्षेत्र है जो सांस्कृतिक दृष्टि से संवेदनशील भी हैं अतः पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में इसके समावेश में बहुत समय लगेगा। किंतु इस विषय की महती आवश्यकता को देखते हुए यह अनुभव किया गया है कि इसे और अधिक स्थगित नहीं किया जा सकता। अतः प्रारम्भ में पाठ्य-सहभागी गतिविधियों के माध्यम से इस शैक्षिक विषय के संबंध में एक समझ पैदा की जा सकती है। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम किशोरावस्था शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल भी कर लेते हैं तब भी औपचारिक शिक्षा में पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों की अपनी सीमा होती है और किशोर शिक्षा एक विस्तृत विषय है जिसको पूरी तरह से प्रचलित पाठ्य-पुस्तकों में शामिल नहीं किया जा सकता। जबकि पाठ्य सहभागी गतिविधियों के द्वारा किशोर-शिक्षा के सभी पहलुओं को छुआ जा सकता है तथा किशोरों में इस संदर्भ में व्यापक समझ और जागरूकता उत्पन्न की जा सकती है।

पाठ्य-सहगामी उपागम द्वारा कौशल विकास

जैसे ऊपर कहा गया है किशोर शिक्षा के प्रचार व प्रसार में पाठ्य-सहगामी उपागम की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। किशोरावस्था शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में केवल जागरूकता और सकारात्मक मनोवृत्ति का विकास नहीं है बल्कि किशोर प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य विषयक समस्याओं के संदर्भ में समुचित कौशल विकसित करना भी है और किशोरों में कौशल विकास के लिए पाठ्य-सहगामी गतिविधियों का प्रयोग प्रभावपूर्ण शैक्षिक विधि के रूप में किया जा सकता है। सुनियोजित ढंग से निर्मित पाठ्य सहगामी गतिविधियों के माध्यम से छात्रों के लिए ऐसे अवसर प्रदान किए जा सकते हैं जिससे वे व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से, स्कूल में अथवा सार्वजनिक अवसरों पर अपने अनुभवों को एक दूसरों के साथ बाँट कर समुचित कौशलों का विकास कर सकते हैं। ये गतिविधियां इसलिए अधिक प्रभावपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि ये सीखने वालों को सक्रिय भागीदारी के अवसर प्रदान करती हैं तथा ये एक समय ज्ञान प्रदान करने, सकारात्मक

मनोवृत्ति के विकास तथा अंतर्वैयक्तिक कौशलों पर केन्द्रित होती है। इन गतिविधियों में प्रयोगात्मक अधिगम पर ज़ोर दिया जाता है। सीखने वालों को गत्यात्मक अथवा सक्रिय शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया से जोड़ा जाता है ताकि वे सक्रिय रूप से अनुभवों को ग्रहण कर सकें और उन्हे संरचनात्मक रूप दे सकें। यद्यपि कौशल-विकास के रूप में पाठ्य-सहभागी गतिविधियों के नियोजन और आयोजन अर्थात क्रियान्वयन के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है। आगे के पृष्ठों में दस पाठ्य-सहगामी गतिविधियों के नियोजन और आयोजन की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया है।